न्यायालय,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - राम सुरेश प्रसाद

R.J.S.(D.J. Cadre)

<u>दीवानी वाद संख्या 12/2025</u>

1. श्रीमती शिल्पा पत्नी विक्रमसिंह बारिया, उम्र 19 वर्ष, निवास डाबडीमाल, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्री जितेन्द्र बारिया पिता विक्रमसिंह बारिया, उम्र 01 वर्ष 11 माह नाबालिग की माता व संरक्षक श्रीमती शिल्पा पत्नी विक्रमसिंह बारिया, उम्र 19 वर्ष, निवासी डाबडीमाल, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्री भीमा पिता लिमजी, उम्र 55 वर्ष, निवासी बरवाला राजिया, तहसील आम्बापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती अमरका पत्नी श्री भीमा, उम्र 44 वर्ष, निवासी डाबडीमाल, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.) - वादीगण

विरूद्ध

1. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, अजमेर जिला अजमेर (राज.)
2. अधिशासी अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बांसवाडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. सहायक अभियन्ता(ग्रामीण), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बांसवाडा, तहसील बांसवाडा, जिला बांसवाडा (राज.)
4. कनिष्ठ अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आम्बापुरा, तहसील आम्बापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.) - प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत क्षतिपूर्ति रूपया 34,75,000/-(अक्षरे चौंतीस लाख पचहत्तर हजार)</u>

<u>दावा अन्तर्गत धारा 1ए घातक दुर्घटना अधिनियम</u>

प्रतिनिधित्व –

1. श्री जयेन्द्र कुमार पुरोहित, अधिवक्ता वादीगण की ओर से

2. श्री तरूण कुमार अडीचवाल, अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 02 अप्रैल, 2026

1. वादीगण की ओर से दिनांक 14.05.2025 को यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा बाबत क्षतिपूर्ति रूपया 34,75,000/- (चौतीस लाख पचहत्तर हजार) की वसूली हेतु इस न्यायालय के समक्ष धारा 1ए घातक दुर्घटना अधिनियम के अंतर्गत पेश किया गया जिसे दिनांक 23.05.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

1. वादीगण के वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि मृतक विक्रम-सिंह बारिया दिनांक 10.02.2024 को समय करीब 8.30 बजे मौजा डाबडीमाल में अपने खेत में मक्का की फसल को पानी पिला रहा था के खेत के पास स्थित विद्युत डी.पी. से चालू लाईन का वायर अचानक खेत में नीचे गिर गया तथा करन्ट फेल गया एवं विक्रमसिंह को करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे निजी वाहन से इलाज हेतु महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा लाये जहां इलाज के दौरान दिनांक 10.02.2024 को रात्रि में मृत्यु हो गई। घटना की सूच-ना पुलिस थाना आंबापुरा पर दी जाने पर मर्ग संख्या 05/2024 दर्ज की गई तथा विक्रमसिंह का पोस्टमार्टम किया गया जिसमें मृत्यु करन्ट लगने से होना उल्लेख किया है। प्रतिवादीगण के द्वारा विद्युत डीपी का, विद्युत तारों का रख-रखाव उचित ढंग से नहीं करने तथा उनकी लापरवाही के कारण विद्युत डीपी की लाईन का वायर टूट गया जिनकी लापरवाही से घटना घटित हुई तथा विक्रमसिंह की मृत्यु हुई जिसके लिए प्रतिवादीगण उत्तरदायी है। मृतक 25 वर्ष का हृष्ट पुष्ट स्वस्थ्य पुरूष होकर कृषि व मजदरी से मासिक 20,000/- रूपया कमाता था तथा उनके परिवार की औसत आयु 80 वर्ष होने से वह 55 वर्ष तक मजदूरी व कृषि कार्य कर परिवार को आय प्राप्त कर आर्थिक मदद करता। इस प्रकार मृतक अपने जीवनकाल में 30,25,000/- रूपये कमा कर उनकी आर्थिक मदद करता। विक्रमसिंह की मृत्यु से वादीया सं.01 अपने पति के सुख प्रेम, तथा वादी संख्या 02 अपने पिता के स्नेह, प्यार तथा वादी संख्या 03 एवं 05 अपने पुत्र के सेवा से हमेशा के लिए वंचित हो गये, जिससे उन्हे मानसिक क्षति हुई जिस हेतु 4,00,000/- एवं मृतक विक्रमसिंह की उत्तरक्रिया में 50,000/- रूपया का खर्च हुआ। इस प्रकार से वादीगण को प्रतिवादीगण से 34,75,000/- एवं उस पर दु-र्घटना की दिनांक से 09 प्रतिशत बयाज, वाद व्यय, अभिभाषक शुल्क व न्यायो-

चित दादरसी से न्यायालय उचित समझे दिलवाई जावे। वादीगण की ओर से अपने वाद-पत्र के समर्थन में श्रीमती शिल्पा का शपथ-पत्र पेश किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए वाद-पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा कथन किया कि मृतक ने डी-.पी. हाउटपुट वायर आंकडी सिस्टम से लगाकर करीब 30 फीट ला-ईन जमीन पर बिछाकर मोटर तक वायर लगाया था तथा आउटपुट लाईन में जगह-जगह वायर का इन्सुलेशन कटा था, स्टार्टर भी नहीं लगा था एवं मात्र दो केपेसीटर जमीन पर रखकर काम चलाऊ तरीके से वायर जोडकर असावधानी व लापरवाहीपूर्वक खेत में पानी पिला रहा था जिससे वायर के इन्सुलेशन कटे होने से पानी के सम्पर्क में आने से करन्ट लगने से दुर्घटना घटित हो सकती है। प्रतिवादीगण द्वारा विद्युत लाईनों को व्यवस्थित रख उनका रख रखाव किया जाता रहा है लेकिन मृतक स्वयं की उदासीनता, लापरवाही एवं उतावलेपन से यह दुर्घटना घटी है जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है, ऐसे में क्षतिपूर्ति अदायगी के लिए विभाग की कोई जवाबदारी व जिम्मेदारी नहीं है। विशेष कथन में भी जवाब पत्र में अंकित तथ्यों की पु-नरावृत्ति करते हुए व्यक्त किया कि मृतक ने डी.पी. हाउटपुट वायर आंकडी सिस्टम से लगाकर करीब 30 फीट लाईन जमीन पर बि-छाकर मोटर तक वायर लगाया था तथा आउटपुट लाईन में जगह-जगह वायर का इन्सुलेशन हटा था, स्टार्टर भी लगा नहीं था एवं मात्र दो केपेसीटर जमीन पर रखकर काम चलाऊ तरीके से वायर जोडकर असावधानी व लापरवाहीपूर्वक खेत में पानी पिला रहा था जिससे वायर के इन्सुलेशन कटे होने से पानी के सम्पर्क में आने से करन्ट लगने से दुर्घटना घटित हो सकती है। इन सभी कारणों से वादीगण प्रतिवादीगण से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध सव्यय निरस्त कर प्रतिवादीगण को हर्जा खर्चा व वकील फीस दिला-ये जाने की प्रार्थना की। प्रतिवादीगण की ओर अपने दावे के समर्थन में महिप जोशी का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।

2. पक्षकारान द्वारा किए गए अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गये -

(1) आया दिनांक 10.02.2024 को शाम के करीब 8.30 बजे मौजा डाबडीमाल में वादीगण का परिजन स्व. श्री विक्रमसिंह बारिया, जो अपने खेत में

मक्की की फसल को पानी पिला रहा था कि खेत में स्थित विद्युत डी.पी. से चालू लाईन का वायर अचानक टूट कर खेत में गिर गया और खेत में विद्युत करन्ट फैल गया, जो विद्युत करन्ट विक्रमसिंह को लगा, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। विद्युत लाईन एवं विद्युत डी.पी. के रखरखाव की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी जिनकी लापरवाही व उपेक्षा के कारण दुर्घटना घटित हुई ? -वादीगण

(2) आया मृतक विक्रमसिंह बारिया की मृत्यु होने से वादीगण वादपत्र में वर्णित आधारों पर क्षतिपूर्ति राशि के रूप में रूपया 34,75,000/- (शब्दो में चौतीस लाख पिचहत्तर हजार) रूपये प्रतिवादीगण से प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? -वादीगण

(3) आया वादीगण का परिजन स्व. श्री विक्रमसिंह बारिया द्वारा वक्त घटना विद्युत डी.पी. से आंकडी सिस्टम लगाकर जगह-जगह से कटा हुआ आउटपुट वॉयर जमीन पर बिछा कर लापरवाहीपूर्वक करीब 30 फीट दूरी तक स्थित मोटर तक ले जाकर असावधानीपूर्वक सिंचाई का कार्य कर रहा है जिससे कटे हुए आउटपुट वायर में विद्युत करन्ट प्रवाहित होने से विक्रमसिंह को विद्युत करन्ट लगा है । ऐसे में हस्तगत दुर्घटना स्वयं विक्रमसिंह बारिया की उपेक्षा व लापरवाही के परिणामस्वरूप घटित हुई है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का क्षतिपूर्ति राशि अदायगी का कोई दायित्व नहीं बनता है ? - प्रतिवादीगण

(4) अनुतोष

3. वादीगण ने अपने वाद-पत्र के समर्थन में वादी साक्षी 1 महिपाल बारिया, वादी साक्षी 02 शिल्पा तथा वादी साक्षी 03 रामलाल को साक्ष्य में पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श-1 लगायत प्रद-र्श 06 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

प्रतिवादीगण ने जवाब दावों के समर्थन में प्रतिवादी साक्षी संख्या 1 महिप जोशी, प्रतिवादी साक्षी संख्या 02 मोहित जोशी तथा प्रति-वादी साक्षी संख्या 03 राकेश कुमार के बयान करवाए गए तथा प्र-लेखीय साक्ष्य में प्रदर्श ए-1 से प्रदर्श ए-3 को पेश कर प्रदर्शित कर-वाया गया।

4. बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से सारतः इस आशय का निवेदन किया कि पत्रावली पर आई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य साबित हो जाता है कि दिनांक 10.02.2024 को सायं 8.30 बजे मृतक विक्रमसिंह बारिया के कृषि कार्य (खेत में पानी पिलाने) करते समय

बिजली का तार टूटकर खेत में गिरने से खेत में करंट फैल गया जिससे विक्रम सिंह बारिया की मृत्यु हुई जो प्रतिवादीगण की लापरवाही, गफलत व उदासीनता के कारण हुआ। दुर्घटना की रिपोर्ट वादीगण की ओर से थाना आंबापुरा पर दी गई जहां पर मर्ग संख्या 05/2024 दर्ज की गई, मृतक विक्रमसिंह का पोस्टमार्टम करवाया गया जिसमें मृत्यु का कारण विद्युत शॉक बताया है। दुर्घटना में मृतक विक्रमसिंह की कोई लापरवाही नहीं रही है प्रतिवादीगण को घटना की समय पर जानकारी होने के बाद विलम्ब से जांच करना जांच रिपोर्ट को संदिग्ध बनाता है। प्रतिवादीगण की जांच रिपोर्ट तैयार करने में कोई बाहरी व्यक्ति यथा सरपंच या अन्य व्यक्ति सम्मिलित नहीं रहा है। रिपोर्ट बनाने वाले व्यक्ति मौके पर नहीं गया है। ऐसे में जांच रिपोर्ट की महत्ता खो देती है। प्रतिवादी साक्षी के कथनों से वादी का विद्युत कनेक्शन वैध होना प्रकट होता है। अतएव दावे को स्वीकार कर कुल क्षतिपूर्ति राशि रूपया 34,75,000/- मय दुर्घटना दिनांक से ताअदायगी 18% ब्याज के साथ दिलाया जावे।

दूसरी ओर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मृतक डी. पी. आउटपुट वायर आंकडी सिस्टम से लगाकर करीब 30 फीट लाईन जमीन पर बिछाकर मोटर तक उक्त वायर लगाया था जो जगह जगह वायर का इन्सुलेशन कटा था, स्टार्टर नहीं लगा था, दो केपेसीटर जमीन पर रखकर काम चलाऊ तरीके से वायर जोडकर असावधानी एवं लापरवाहीपूर्वक खेत में पानी पिला रहा था जिससे वायर के इन्सुलेशन कटे होने से पानी के सम्पर्क में आने से करन्ट लगने से दुर्घटना घटित हुई। विद्युत विभाग की ओर से विद्युत लाईनों के रख रखाव में उदासनीता एवं लापरवाही नहीं बरती गई थी बल्कि इस दुर्घटना में मृतक स्वयं की लापरवाही रही है, विद्युत विभाग द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट प्रदर्श ए-2 में मृतक की पूर्णतया लापरवाही मानी है तथा विभाग के किसी कर्मचारी/अधिकारी का दोष नहीं पाया गया है। मृतक स्वयं की लापरवाही से विद्युत तंत्र के साथ छेडछाड करने या विद्युत तारों पर आंकडी डालकर विद्युत चोरी करने के प्रयास में स्वयं की लापरवाही से दुर्घटना घटित है जिसके लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वादीगण कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतएव वाद खारिज किया जावे।

5. हस्तगत मामले में प्रस्तुत दावा एवं जवाबदावों से यह निर्विवादित तथ्य है कि वादी के खेत के पास प्रतिवादीगण का विद्युत ट्रान्सफार्मर लगा हुआ है तथा मृतक विक्रमसिंह बारिया की मृत्यु विद्युत करन्ट के लगने के कारण हुई। जिस तथ्य से प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार नहीं किया गया जो तथ्य स्वीकृत होने से साबित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

6. न्यायालय द्वारा विरचित विवाद्यक बिन्दुओं के संबंध में विनिश्चय निम्न प्रकार है –

विवाद्यक संख्या 01 एवं 03

7. विवाद्यक संख्या एक व तीन एक दूसरे से अन्तर्संबंधित है तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए दोनों विवाद्यकों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक संख्या 01 को साबित करने का भार वादीगण पर है, वहीं विवाद्यक संख्या 03 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाह वादी साक्षी संख्या 01 महिपाल बारिया ने कहा है कि उसका भाई विक्रमसिंह बारिया दिनांक 10.02.2024 को शाम के करीब 8.30 बजे मौजा डाबडीमाल में अपने खेत पर मक्के की फसल को पानी पिला रहा था कि विद्युत डी.पी. से चालू लाईन का वायर अचानक खेत में नीचे गिर गया जिससे खेत में करण्ट फेल गया तथा उसके भाई को करन्ट लगा एवं गम्भीर रूप से घायल होने पर उसे इलाज के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाडा लाये जहां पर इलाज के दौरान दिनांक 10.02.2024 को रात्रि में उनकी मृत्यु हो गई। उसने थाने में मर्ग रिपोर्ट दर्ज करवाई जो प्रदर्श-01, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी-02 तथा नक्शा मौका प्रदर्श -03 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिवादीगण द्वारा किये गये प्रति परीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया है कि कुएं से ट्रान्सफार्मर की दूरी 40 फीट है, गवाह ने स्वीकार किया कि ट्रान्सफार्मर उसके खेत के बॉर्डर पर लगा हुआ है तथा ट्रान्सफार्मर से कुंए तक वायर उनका ही रहता है। गवाह ने स्वीकार किया कि ट्रान्सफार्मर से कुंए तक कनेक्शन आंकडी डाल कर उनके द्वारा लिया गया था, स्टार्टर लगा हुआ था परन्तु खराब था जिससे डायरेक्ट विद्युत लाईन कुएं पर पर जा रहा था, स्टार्टर के अन्दर केपिसेटर थे जो कि जमीन पर पडे हुए थे, स्टार्टर खेत की जमीन पर ही पडे हुए थे। गवाह ने बताया कि उसका भाई पानी पिला रहा था जिस वजह से खेत की जमीन गिली हुई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि जमीन पर पडे स्टार्टर गिली जमीन से भागी होने से उसके भाई को करन्ट लगा स्वत: प्रकट किया कि पास में वायर भी पडे थे। उसके भाई को कुंए के पास में ही करन्ट लगा। गवाह ने स्वीकार किया कि विद्युत विभाग की लाईन से घटना घटित नहीं हुआ है परन्तु डीपी में फाल्ट होने से घटना घटित हुई है। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि उसके भाई की लापरवाही व गलती से घटना घटी हो। वादी साक्षी संख्या 02 शिल्पा ने वादी साक्षी संख्या 01 महीपाल बारिया द्वारा किये गये कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए बतायी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श-04, पंचायतनामा लाश प्रदर्श-05 तथा पोस्ट मार्टम करवाने की तहरीर प्रदर्श-06 हैं। प्रतिवादीगण द्वारा किये गये प्रति परीक्षण में गवाह ने प्रकट किया कि खेत में लगे डीपी में आग लग

गई और उससे वायर नीचे गिर गया और उसके पति को करन्ट लगा। उसके पति को करन्ट लगा, उसके बाद वह मौके पर सूचना मिलने पर गई थी। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि उन्होंने खम्भे से मोटर चलाने के लिए वायर डाल रखा हो तथा उससे उसके पति को विद्युत आघात हुआ हो स्वतः प्रकट किया कि डीपी से गिरे वायर से उसके पति को करन्ट लगा था। गवाह ने स्वीकार किया कि मीटर से कुंए तक अपनी वायर लगा रखी थी। वादी साक्षी संख्या 03 रामलाल ने वादी साक्षी संख्या 01 महीपाल बारिया द्वारा किये गये कथनों की पुनरावृत्ति अपने कथनों में की है। प्रतिवादीगण द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मीटर डीपी पर लगा हुआ है, गवाह ने स्वीकार किया कि डीपी से कुंए की मोटर तक वायर लगाना पडता है जो उनके पैसो से विद्युत विभाग वाले वायर मंगवाकर वायर लगाते है। मीटर से डी.पी. तक वायर 20-25 फीट दूरी पर था। गवाह ने स्वीकार किया कि जो वायर डी.पी. से मोटर पर लगा हुआ था, वह जमीन से सटा हुआ था। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि वायर का इंसुलेटर कटा हुआ हो। गवाह ने प्रकट किया कि उसके भाई को करंट लगने से उसके हाथ जले हुए थे।

प्रतिवादी साक्षी संख्या 01 महिप जोशी ने कथन किया कि मृतक डी.पी. आउटपुट वायर पर आंकडी सिस्टम से लगाकर करीब 30 फीट लाईन जमीन पर बिठाकर मोटर तक वायर लगाया था वायर का इंसुलेशन जगह जगह पर कटा हुआ था, स्टार्टर नहीं लगा था एवं दो केपेशीटर जमीन पर रखकर काम चलाऊ तरीके से वायर जोडकर असावधानी एवं लापरवाहीपूर्वक खेत में पानी पिला रहा था जिससे वायर के इन्सुलेशन कटे होने से पानी के सम्पर्क में आने से करन्ट लगने से दुर्घटना घटित हो सकती है। आउटपुट लाईन से दुर्घटना होने पर विभाग जवाबदार व जिम्मेदार नहीं है। विभाग की ओर से लाईनो का व्यवस्थित रख रखाव रखा जाता है तथा मृतक द्वारा उदासीनता, लापरवाही व उतावलापन बरता जाकर उसकी स्वयं की लापरवाही से दुर्घटना हुई है। प्रार्थीगण कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है एवं वाद सव्यय खारिज फरमावे। कार्यालय आदेश दिनांक 14.12.2025 प्रदर्श ए-1, विभागीय समिति की कार्यवाही प्रदर्श ए-2 तथा विभागीय जांच रिपोर्ट प्रदर्श ए-3 हैं। वादी की ओर से किये गये प्रति परीक्षण के दौरान गवाह ने प्रकट किया कि विक्रमसिंह ने खेत में कनेक्शन लिया था वह उनके विभाग से ही लिया था जो नियमानुसार दिया गया है। गवाह ने स्वीकार किया कि कुंए के पास डी.पी. 20 से 30 फीट दूरी पर लगायी थी। डी.पी. के सारे रख रखाव की जिम्मेदारी विभाग की रहती है स्वतः बताया कि डीपी से मीटर तक के रख रखाव की जिम्मेदारी विभाग की रहती है। गवाह ने स्वीकार किया कि जांच रिपोर्ट प्रदर्श ए 3 के साथ संलग्न साईट नक्शे में घटनास्थल डीपी और कुए से दूर घटित हुयी

है जहां विक्रमसिंह की करन्ट लगने से मृत्यु हुई है। गवाह ने स्वीकार किया कि डीपी से कुंए तक जो कनेक्शन होता है उसमें डीपी में शॉर्ट सर्किट होने से वह वायर टूटकर नीचे गिर सकता है स्वत: बताया कि उस वायर में गिरने के पश्चात कोई करन्ट नहीं होता है। गवाह ने स्वीकार किया कि पीडित परिवार ने उनके विभाग से क्षतिपूर्ति की मांग की थी परन्तु उनकी जांच के अनुसार पीडित परिवार को क्षतिपूर्ति देने से उन्होंने इंकार कर दिया। प्रतिवादी साक्षी संख्या 02 मोहित जोशी ने इस आशय का कथन किया है कि फीडर इन्चार्ज से सूचना मिली कि एक व्यक्ति की खेत में पानी की मोटर चलाते समय करन्ट लगने से मृत्यु हो गयी है जिस पर दुर्घटनास्थल का विभागीय अधिकारियों के साथ दिनांक 14.02.2024 को मौका मुआयना किया तो पाया कि जिन वायरों से विद्युत सप्लाई ट्रान्सफार्मर से कुंए तक ला रहे थे उस वायर का इन्सुलेशन जगह-जगह से हटा हुआ था, वहां स्टार्टर नहीं था, दो केपेसिटर से ही आंकडी सिस्टम डालकर विद्युत सप्लाई ट्रान्सफार्मर से कुएं तक आ रही थी, लाईन जमीन पर ही बिठी हुई थी। ट्रान्सफार्मर से कुंए तक विद्युत वायर मृतक ने अपने स्वयं के स्तर पर लाईन बिठा रखी थी तथा वायर का इन्सुलेशन जगह-जगह कटा हुआ था। दुर्घटना मृतक की उदासीनता, लापरवाही, उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक विद्युत लाईन जमीन पर बिठाकर कुंए की मोटर चलाने से घटी तथा मृतक द्वारा उपेक्षापूर्ण किये गये कृत्य के लिए विभाग जवाबदार व जिम्मेदार नहीं है, विभाग का ट्रान्सफार्मर व विद्युत लाईने दुर्घटना की दिनाक को एकदम सही व व्यवस्थित थी। वादी की ओर से किये गये प्रति परीक्षण में गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि वह घटनास्थल पर गया और देखा कि कुंए के पास डीपी लगी हो डिपी कुए से 30-40 फीट की दूरी पर लगी थी। गवाह ने स्वीकार किया कि उनके विभाग ने उपभोक्ता विक्रमसिंह को खेत में बिजली का कनेक्शन दिया था डीपी और डीपी से मीटर तक वायर के रख रखाव की जिम्मेदारी उनकी है स्वत: बताया कि ट्रान्सफार्मर के अन्दर ही मीटर था। नक्शे में घटनास्थल जहां विक्रमसिंह की मृत्यु हुयी है वह स्थान ट्रान्सफार्मर व कुंए से दूरी पर स्थित है स्वत: बताया कि घटनास्थल केपेसीटर के पास घटित हुई। प्रतिवादी साक्षी संख्या 03 राकेश कुमार ने कथन किया कि दिनांक 10.02.2024 को घटी दुर्घटना की सूचना क.अ. के माध्यम से दिनांक 12.02.2024 को मिलने पर उसने फोन कर पता किया गांव के विक्रमसिंह को दिनांक 10.02.2024 को रात्रि में खेतों में पानी पिलाने के दौरान करन्ट लगा जिस पर उसने दिनांक 14.02.2024 को मौके पर विभागीय कर्मचारियों के साथ मौका मुआयना किया तो देखा कि दो केपेसिटर के द्वारा आंकडी सिस्टम से मोटर चालू करने की व्यवस्था कर रखी थी तथा वायर का इन्सुलेटर भी कटा हुआ था, वायर जमीन पर बिठा रखा था। उक्त दुर्घटना मृतक की

स्वयं की लापरवाही, उपेक्षापूर्ण व उदासीनतापूर्वक ट्रान्सफार्मर में कुंए तक लाईन जमीन पर बिठाकर मोटर चलाने से घटित हुई है जिसमें विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही नहीं रही है। वादीगण की ओर से किये गये प्रति परीक्षण में प्रकट किया कि वह घटनास्थल पर दिनांक 12.02.2024 को अधिकारियो के कहने पर गया था। गवाह ने स्वीकार किया कि विक्रमसिंह ने उनके विभाग से बिजली कनेक्शन ले रखा है तथा बिजली कनेक्शन के संबंध में उनके विभाग एवं विक्रमसिंह के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि कुंए के पास डीपी लगी है स्वतः बताया कि 30-40 फीट की दूरी पर लगी है। मीटर ट्रान्सफार्मर के अन्दर ही लगा रहता है। मीटर से आउटपुट निकाल कर उपभोक्ता अपने वायर से कनेक्शन करता है। गवाह ने स्वीकार किया कि ट्रान्सफार्मर में शॉर्ट सर्किट होता है तो उस परिसर में करन्ट फेलने की पूरी संभावना रहती है स्वतः बताया कि दिनांक 12.02.2024 को ट्रान्सफार्मर सही था उसमें किसी प्रकार का कोई शोर्ट सर्किट नहीं था। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि बिजली कनेक्शन का वायर जला हुआ खेत में पडा हो स्वतः बताया कि कटा फटा था।

9. हस्तगत मामले में वादी साक्षी संख्या 01 महीपाल ने थानाधिकारी आंबापुरा को दिनांक 11.02.2024 को प्रदर्श-01 रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें अंकित किया कि विक्रमसिंह मक्के की फसल को पानी पीला रहा था कि अचानक डीपी से चालु लाईन वायर गिर जाने से पानी में करन्ट आने से विक्रमसिंह को करन्ट लगा तथा इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा मर्ग संख्या 05/2024 दर्ज की गई जिसमें प्रदर्श पी-04 व प्रदर्श पी-05 में विद्युत करन्ट लगने से मौत होना तफतीश में पाया गया, पंचायतनामा लाश प्रदर्श-05 में मृतक के दाये हाथ के अंगुलियो के नाखून पर करन्ट लगने के निशान पाये तथा बाये हाथ की चारो अंगुलियां काली पडी हुई पाई गई, इससे स्पष्ट है कि मृतक विक्रमसिंह के हाथ की अंगुलियों से करन्ट प्रवाहित हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि मृतक विक्रमसिंह की मृत्यु विद्युत तार के करन्ट हाथ में लगने से हुई है।

अब मामले में यह देखना है कि जो विद्युत करन्ट लगा उसके लिए मृतक विक्रमसिंह स्वयं की लापरवाही रही अथवा विद्युत विभाग की उपेक्षा एवं लापरवाही से मृतक विक्रमसिंह की मृत्यु हुई। इस संबंध में वादी साक्षी संख्या 01 महीपाल जो कि मर्ग संख्या 05/2024 का परिवादी रहा है उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि ट्रान्सफार्मर से कुंए तक कनेक्शन आंकडी डालकर उनके द्वारा लिया गया था स्टार्टर लगा था परन्तु खराब था जिससे डायरेक्ट विद्युत लाईन कुंए पर जा रहा था, स्टार्टर के अन्दर केपिसेटर थे जो कि जमीन पर पडे हुए थे तथा स्टार्टर खेत की जमीन पर ही पडे हुए थे। जमीन पर पडे स्टार्टर गिली जमीन से भीगी होने से

उसके भाई को करन्ट लगा। उसके भाई को कुंए के पास में ही करन्ट लगा था। गवाह ने स्वीकार किया कि विद्युत विभाग की लाईन से घटना घटित नहीं हुई। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज व प्रदर्शित नक्शा मौका, जो मर्ग रिपोर्ट के दौरान तैयार किये गये नक्शा मौका प्रदर्श-03 है का अवलोकन किया जावे तो इसमें मृतक विक्रमसिंह को **एक्स** स्थान पर विद्युत करन्ट लगना बताया गया है तथा **बी** स्थान पर डीपी लगी हुई है एवं डीपी एवं कुंए के बीच में बबुल का पेड होना बताया गया है इससे यह तो स्पष्ट है कि मृतक विक्रमसिंह को विद्युत शॉक लगा वह स्थान डी.पी. के पास नहीं होकर डी.पी. से दूर **एक्स** स्थान पर लगा है। मृतक विक्रमसिंह के द्वारा विद्युत विभाग से नियमानुसार कनेक्शन प्राप्त किया था लेकिन उसका विद्युत मीटर जो लगा हुआ था वह डी.पी. के पास ही लगा हुआ था तथा डी.पी. से दूर उसे करन्ट लगा है। वादी साक्षी संख्या 02 श्रीमती शिल्पा ने प्रतिवादीगण के प्रति परीक्षण में स्वीकार किया कि मीटर से कुंए तक अपनी वायर लगा रखी थी। वादी साक्षी संख्या 03 रामलाल ने प्रति परीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया कि मीटर डीपी पर लगा हुआ है, गवाह ने स्वीकार किया कि डीपी से कुंए की मोटर तक वायर लगाना पडता है जो उनके पैसो से विद्युत विभाग वाले वायर मंगवाकर वायर लगाते है। मीटर से डी.पी. तक वायर 20-25 फीट दूरी पर था। गवाह ने स्वीकार किया कि जो वायर डी.पी. से मोटर पर लगा हुआ था, वह जमीन से सटा हुआ था प्रतिवादी साक्षी संख्या 01 महीप जोशी ने वादी पक्ष द्वारा किये गये प्रति परीक्षण में स्वीकार किया कि कुए के पास डीपी 20 से 30 फीट की दूरी पर लगायी थी, मीटर तक रख रखाव की जिम्मेदारी विभाग की रहती है, मीटर में शॉट सर्किट होने से कोई क्षति होती है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की होती है,डीपी से कुए तक जो कनेक्शन होता है उसमें डीपी में शॉट सर्किट होने से वह वायर टूट कर नीचे गिर सकता है स्वतः बताया कि उस वायर में गिरने के पश्चात कोई करन्ट नहीं होता है। यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि जब वॉयर डीपी से टूट कर गिर गया हो तो वॉयर के टूटने के पश्चात् स्वाभाविक हो जाता है कि पृथक हुए वॉयर में विद्युत प्रवाह नहीं होगा क्योंकि वॉयर से ही विद्युत प्रवाह आगे की ओर प्रवाहित होती है। प्रतिवादी साक्षी संख्या 02 मोहित जोशी ने वादी द्वारा किये गये प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि डीपी और डीपी से मीटर तक वायर के रख रखाव की जिम्मेदारी उनकी है, स्वतः बताया कि ट्रान्सफार्मर के अन्दर ही मीटर था। नक्शे में घटनास्थल जहां पर विक्रमसिंह की मृत्यु हुयी है वह स्थान ट्रान्सफार्मर व कुंए से दूरी पर स्थित है तथा घटनास्थल केपेसिटर के पास घटित हुई है। प्रतिवादी साक्षी संख्या 03 राकेश कुमार फीडर इन्चार्ज का भी कथन रहा है कि उसने दिनांक 14.02.2024 को मौके पर विभागीय कर्मचारियों के साथ

मौका मुआयना किया तो देखा कि दो केपेसिटर के द्वारा आंकडी सिस्टम से मोटर चालू करने की व्यवस्था कर रखी थी तथा वायर का इन्सुलेटर भी कटा हुआ था, वायर जमीन पर बिठा रखा था। उक्त दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही, उपेक्षा-पूर्ण व उदासीनतापूर्वक ट्रान्सफार्मर में कुंए तक लाईन जमीन पर बिठाकर मोटर चलाने से घटित हुई है जिसमें विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही नहीं रही है। वादी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि कुंए के पास डीपी लगी है स्वतः बताया कि 30-40 फीट की दूरी पर लगी है। मीटर ट्रान्सफार्मर के अन्दर ही लगा रहता है। मीटर से आउटपुट निकाल कर उपभोक्ता अपने वायर से कनेक्शन करता है। दिनांक 12.02.2024 को ट्रान्सफार्मर सही था उसमें किसी प्रकार का कोई शोर्ट सर्किट नहीं था। इसके अलावा नक्शा मौका में भी डी.पी. के आस पास विद्युत प्रवाहित से घास जलने के आलामात नहीं बताये गये है बल्कि मृतक विक्रमसिंह बारिया को विद्युत शॉक लगा है वह विद्युत मीटर से 30-40 फीट की दूरी पर कुंए के पास खेत मे लगा है तथा डीपी के पास ही विद्युत मीटर लगा था एवं विद्युत मीटर के आगे वायर लगाने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होकर स्वयं उपभोक्ता की बताई गई है। जिस प्रकार की साक्ष्य आई है उसमें विद्युत मीटर से बिना स्टार्टर के सीधे आंकडी लगाकर कुएं तक विद्युत संबंध लिया जाना बताया है। इस संबंध में विद्युत विभाग की ओर से तैयार की गई जांच रिपोर्ट प्रदर्श ए-02 का अवलोकन किया जावे तो इसमें मृतक के भाई महिपाल जो कि वादी साक्षी संख्या 01 भी है, ने बताया है कि उसका भाई कुंए से करीब 10 फीट दूर गिरा हुआ था व विद्युत सप्लाई चालू थी, जांच में पाया कि मृतक डीपी से मोटर चालू करने हेतु उन वायरों के सम्पर्क में आया जो बिना स्टार्टर के है व वायर भी काले पडे दिखाई दिए। जांच में फिडर राकेश कुमार जो कि प्रतिवादी साक्षी संख्या 03 है ने बताया है कि कुएं की मोटर हेतु लगा स्टार्टर ओपन था जिसके पास दो केपेसिटर लगे थे एवं आंकडे वाले सिस्टम से मोटर चालू करने की व्यवस्था थी, इस संबंध में प्रतिवादी साक्षी संख्या 02 मोहित जोशी ने जांच के बयान में बताया है कि वहां पडे वायरो का इंसुलेशन उतर गया था एवं फोटो अनुसार आंकडी से सारी व्यवस्था की थी जिसके सम्पर्क में आने से ही 10 फरवरी 24 को रात्रि में यह दुर्घटना घटी। इस जांच रिपोर्ट प्रदर्श ए-02 के साथ लगे जो कि इस जांच रिपोर्ट का एक भाग हैं उन फोटो का अवलोकन करे तो पत्थर पर केपेसिटर पडे हो वायर खुले पडे है, इससे विभाग की ओर से जिस प्रकार की साक्ष्य पेश की गई है तथा वादीगण की ओर से वादी साक्षी संख्या 01 महीपाल ने जिरह में जो स्वीकारोक्ति की है उससे विद्युत विभाग द्वारा घटना के पश्चात जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई है वह सुसंगत प्रतीत होती है जहां साक्षी महीपाल के बयान दौराने

जांच स्थानीय/मौतबीर गवाहान की उपस्थिति में लेखबद्ध किये गये हैं, जिस पर स्थानीय/मौतबीर गवाहान के हस्ताक्षर मौजूद हैं। ऐसे में वादीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल होना नहीं रह जाता है कि जांच रिपोर्ट तैयार करने में कोई बाहरी व्यक्ति यथा सरपंच या अन्य व्यक्ति सम्मिलित नहीं रहा है जिससे जांच रिपोर्ट महत्ता संदिग्ध बना कर खो देती है। इसके अलावा मीटर से 20-30 फीट की दूरी पर कुंए के पास मृतक विक्रमसिंह बारिया को करन्ट लगा है तो उसके लिए विद्युत विभाग को किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता तथा इसमें मृतक विक्रमसिंह बारिया की गफलत, लापरवाही एवं उपेक्षा रही होना ही दृष्टिगोचर होता है तथा स्वयं मृतक विक्रमसिंह बारिया की लापरवाही एवं उपेक्षा के लिए प्रतिवादीगण विद्युत विभाग को क्षतिपूर्ति अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में विवाद्यक संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध तथा विवाद्यक संख्या 03 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 02</u>

10. विवाद्यक संख्या 01 के अंतर्गत वादीगण इस दुर्घटना में प्रतिवादीगण अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विभाग अथवा उनके कर्मचारियों की कोई उपेक्षा एवं लापरवाही को साबित नहीं कर पाये है तथा विवाद्यक संख्या 03 के निर्णयानुसार प्रतिवादीगण यह साबित करने में सफल रहे है कि डीपी से सीधे विद्युत शॉक नहीं लगकर डीपी के पास लगे विद्युत मीटर से कुंए तक खींची गई लाईन के पास विद्युत शॉक लगा जिसकी डी.पी. एवं विद्युत मीटर से दूरी 20-30 फीट बताई गई है तथा मृतक विक्रमसिंह को विद्युत शॉक लगने के पीछे उसकी लापरवाही एवं उपेक्षा सामने आई है ऐसे में इस दुर्घटना में प्रतिवादीगण अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विभाग की उपेक्षा व लापरवाही ही साबित नहीं हुई। ऐसे में वादीगण प्रतिवादीगण अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। ऐसी स्थिति में इस विवाद्यक के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। अतएव यह विवाद्यक इसी प्रकार निर्णीत किया जाता है।

<u>अनुतोष</u>

11 इस प्रकार से विवाद्यक संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध एवं विवाद्यक संख्या 03 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत हुआ है। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादीगण से किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के योग्य नहीं पाये

जाते हैं। परिणामतः वादीगण का वाद बाबत क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने विरूद्ध विपक्षीगण खारिज किया जाता है।

आदेश

12. अतः वादीगण श्रीमती शिल्पा एवं अन्य की ओर से प्रस्तुत वाद बाबत क्षतिपूर्ति विरूद्ध प्रतिवादीगण अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जरिये अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, अजमेर एवं अन्य अस्वीकार किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(राम सुरेश प्रसाद)

13. निर्णय आज दिनांक 02.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राम सुरेश प्रसाद)